

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम—

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना—स्यालतरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग पैणी—कुंजासू मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। जिससे कि ग्राम मैठाना व स्यालतरी लाभान्वित होंगे। वर्तमान में गाँव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लाने दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

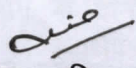
समरेखण-1

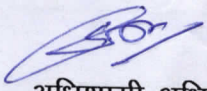
यह मोटर मार्ग पैणी—कुंजासू मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 (है० 0-2) से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति है तथा भूगर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में 4 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं तथा 81 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

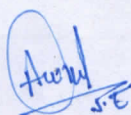
समरेखण-2

यह मोटर मार्ग पैणी—कुंजासू मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 (है० 0-2) से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। इस समरेखण से पेयजल लाइन को मलवे से क्षति होने की सम्भावना है। क्षेत्रीय जनता भी इस समरेखण से सहमत नहीं हैं एवं भू-गर्भ वेता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड कि सं० 5 है तथा अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न०-1 उपयुक्त है।


सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पोखरी


अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पोखरी


J.E